

used to post
payment of postage
licence No. C. C. 49.

पंजी क्रमांक एन-५३३



मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्र ४८

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक २६ नवम्बर १९६३—अप्रहायण ८, शके १८८५

विषय-सूची

- १.—(१) राज्य शासन के आदेश; (२) विभाग प्रमुखों के आदेश; (३) उच्च न्यायालयों के आदेश और अधिसूचनाएं; (४) राज्य शासन के संकल्प; (५) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं; (६) निर्वाचन आयोग, भारत, की अधिसूचनाएं; (७) लोक भाषा परिशिष्ट.
- भाग ३.—(१) विभाजन और विविध सूचनाएं; (२) सांख्यिकीय सूचनाएं.
- भाग ४.—(क) (१) मध्यप्रदेश विधेयक; (२) प्रवर समिति के प्रतिवेदन; (३) संसद् में पुर-स्थापित विधेयक. (ख) (१) अध्यादेश; (२) मध्यप्रदेश अधिनियम। (३) संसद् के अधिनियम. (ग) (१) प्रारूप नियम; (२) अन्तियम नियम.
- २.—स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

भोपाल, दिनांक २२ नवम्बर १९६३—अप्रहायण १, १८८५.

क्र. ६८८०-३६७१-एक(२).—श्री के. जी. एस. पिशरोडी, ए. एस., जिनकी सेवाएं भारत शासन—निर्माण, आवास और श्रम मंत्रालय (Ministry of Works, Housing and Rehabilitation)—द्वारा राज्य शासन की मॉपी गई हैं, दिनांक नवम्बर १९६३ से कलेक्टर, रीवा, नियुक्त किये गये.

क्र. ६८८१-३६७१-एक(२).—श्री के. जी. एस. पिशरोडी द्वारा होने पर, श्री एस. एल. शर्मा, आय. ए. एस., स्थानापन्न कलेक्टर, को, इकसठ दिन की अज्ञित छुट्टी मंजूर की गई तथा उनको पर, दिनांक ५ जनवरी १९६४, जोड़ने की अनुमति दी गई.

भोपाल, दिनांक २३ नवम्बर १९६३—अप्रहायण २, १८८५.

क्र. ६९४३-३६४६-एक(२).—दिनांक २५ नवम्बर १९६३ (प्रपत्र) से, श्री आर. पी. नरोना, आय. सी. एस., स्थानापन्न कलेक्टर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, अस्थायी रूप से, आगामी तक, स्थानापन्न मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नियुक्त किये गये.

क्र. ६९४५-३६४६-एक(२).—कार्यभार सम्हालने के दिनांक श्री बी. एन. वर्मा, आय. सी. एस., कमिश्नर, स्वास्थियर संभाग, नबर, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न प्रतिरिक्त सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नियुक्त किये जाते हैं.

क्र. ६९४६-३६४६-एक(२).—श्री बी. एन. वर्मा, स्थानापन्न कलेक्टर, मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, इस काम के प्रतिरिक्त अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह तथा कारागार विभाग, नियुक्त किये जाते हैं.

क्र. ६९४७-३६४६-एक(२).—श्री बी. एन. वर्मा द्वारा स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, गृह तथा कारागार विभाग का कार्यभार सम्हालने पर, श्री आर. पी. नरोना, आय. सी. एस., उक्त विभागों के सचिव के कार्यभार से निवृत्त होंगे.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्री. काभत, मुख्य सचिव.

भोपाल, दिनांक २७ नवम्बर १९६३—अप्रहायण ६, १८८५.

क्र. ६९८६-३१८१-एक(२).—दिनांक २५ अक्टूबर १९६३ से, श्री ए. सी. राय, आय. ए. एस., स्थानापन्न उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, आगामी आदेश तक, अपने कर्तव्यों के साथ-साथ, सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, भू-परिमाण तथा बन्दोबस्त (Survey and Settlement), भू-अभिलेख (Land Records) और भू-सुधार (Land Reforms) विभाग का चासू कार्यभार सम्हालने के लिये नियुक्त किये गये.

क्र. ६९८७-३१८१-एक(२).—श्री ए. सी. राय द्वारा रिहा होने पर, श्री एन. डी. गुप्ता, आय. ए. एस., स्थानापन्न सचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व, भू-परिमाण, बन्दोबस्त, भू-अभिलेख और भू-सुधार विभाग, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल, नियुक्त किये गये.

क्र. ६९८८-३१८१-एक(२).—श्री एन. डी. गुप्ता द्वारा रिहा होने पर, श्री पी. डी. चटर्जी, आय. ए. एस., स्थानापन्न कमिश्नर, भोपाल संभाग, भोपाल, को, दिनांक २५ अक्टूबर १९६३ से इकतीस दिन की अज्ञित छुट्टी मंजूर की गई.

अधीक्षक, शासन केंद्रीय मंत्रालय, मध्यप्रदेश, भोपाल, द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित—१९६३.

हायक संचालक
विमुक्त, सुमन्तु और अर्जुमन्तु
समुदाय विकास

आदिमजाति कल्याण विभाग

Bhopal, the 21st September 1963.

No. 6209-XXV-(Gen)-IK-63.—The State Government are pleased to declare the Communities mentioned in Annexure I, to be the Nomadic and Semi-Nomadic Tribes for purposes of award of the Government of India Post-Matric Scholarships only.

2. The State Government are also pleased to declare the Communities mentioned in Annexure II, to be the Denotified Tribes for the whole State for purposes of Government of India, Post-Matric Scholarships as well as all Welfare Programmes.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
B. K. DUBE, Secy.

ANNEXURE I

Nomadic and Semi-Nomadic Tribes

1. Baldia.
2. Bachhowalia.
3. Bhats.
4. Bhantu.
5. Desar.
6. Durgimuragi.
7. Ghisadi.
8. Gondhali.
9. Irani.
10. Jogi, Jogi Kanphata.
11. Joshi Balsanthoshi, Joshi Bahulikar, Joshi Bajaria, Joshi Budubuduki, Joshi Chitrakthi, Joshi Harda, Joshi Nadia, Joshi Harbola, Joshi Namdiwala, Joshi Pingala.
12. Kashikapdi (Kashikapdi Harda, Kashikapdi Harbola).
13. Kalandar (Qalandar) Nagphara.
14. Kamad.
15. Karohla.
16. Kassai (Shepherds).
17. Loharpitta (Gadiar Lohar).
18. Navakda (Nayakda Bhil).
19. Shikkaligar (Bardhia, Saigulgor, Sarania, Shikligar).
20. Siringiwala Kuchband (Kuchband).
21. Sudugudu Sidhan (Bahurupiya).
22. Vanivanthar Rajgond.
23. Gaddis.
24. Rebharis (Cattle breeders).
25. Golars (Golams, Gollas, Balaghats, Golkars).
26. Gosains.
27. Bharaddi Hardas.
28. Bharaddi Harbolas.
29. Hejaras.
30. Dhangars.

ANNEXURE II

Denotified Tribes

1. Kanjar.
2. Sansi.
3. Banjara.
4. Banchhada.
5. Moghiya.
6. Kalbelia.
7. Bhanmat.
8. Bagri.
9. Nat.
10. Pardhi.
11. Bedia.
12. Habuda.

13. Bhatu.
14. Kuchbandia.
15. Bijoria.
16. Kabutari.
17. Sandhiya.
18. Pasis.
19. Chandravedias.
20. Bairagia.
21. Sanoriya.

भोपाल, दिनांक २१ सितम्बर १९६३.

क्र. ६२०९-पञ्चीस (सा.)-आई. के.-६३.—राज्य शासन परिशिष्ट एक में उल्लिखित समुदायों को, केवल भारत सरकार की भेट्टिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ देने के प्रयोजनों के लिए अस्थिरवासी, और अर्ध-अस्थिरवासी जातियाँ घोषित करता है। साथ ही राज्य शासन परिशिष्ट दो में उल्लिखित समुदायों को, भारत सरकार की भेट्टिकोत्तर छात्रवृत्तियाँ देने के प्रयोजनों के लिए और सभी कल्याण कार्यक्रमों के लिए संयुक्त मध्यप्रदेश में अनुसूचित (विमुक्त) जातियाँ घोषित करता है:-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार
बी. के. दुबे, सचिव

परिशिष्ट एक

अस्थिरवासी और अर्ध-अस्थिरवासी जातियाँ

- (१) बलदिया.
- (२) बाछोवालिया.
- (३) माट.
- (४) मन्तु.
- (५) देसर.
- (६) दुर्गी मुरागी.
- (७) घिसाड़ी.
- (८) गोंधली.
- (९) ईरानी.
- (१०) जोगी, जोगी कनफटा.
- (११) जोशी बाल सन्तोषी, जोशी बहुलीकर, जोशी बजासिया, जोशी बुदुबुदुकी, जोशी चिनावठी, जोशी हरदा, जोशी नादिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला.
- (१२) काशीकापड़ी (काशी कापड़ी हरदा, काशी कापड़ी हरबोला).
- (१३) कलन्दर नागफडा.
- (१४) कामद.
- (१५) करोला.
- (१६) कसाई (गडरिए).
- (१७) लोहार पिट्टा (गाडिया लोहार).
- (१८) नायकडा (नायकडा मील).
- (१९) शिकलियार (बरधिया, सैगुलगोर, सरानिया, शिकलियार).
- (२०) सिरंगी वाला कुचबन्द (कुचबन्द).
- (२१) सुदुगुदु सिद्धन (बहुहपिया).
- (२२) वनीयन्धर राजगोड.
- (२३) गद्दीज.
- (२४) रेमारी (पशुपालक).
- (२५) गोलर (गोलम, गोला, बालाघाट गोलकर).
- (२६) गोसाई.
- (२७) मराडी हरदास.
- (२८) मराडी हरबोला.
- (२९) हेजरा.
- (३०) धनगरे.

परिशिष्ट दो

अनुसूचित जातियाँ

- | | |
|---------------|--------------------|
| (१) कजर. | (११) वेदिया. |
| (२) सांसी. | (१२) हावुड़ी. |
| (३) बंजारा. | (१३) माट. |
| (४) बनछडा. | (१४) कुचबन्दिया. |
| (५) मोघिया. | (१५) विजोरिया. |
| (६) कलबेलिया. | (१६) कवतरी. |
| (७) मानमत. | (१७) सेन्धिया. |
| (८) बगरी. | (१८) पासी. |
| (९) नट. | (१९) चन्द्रवेदिया. |
| (१०) पारवी. | (२०) बैरागी. |
| | (२१) सनोरिया. |

सहायक संचालक
विमुक्त, पुनर् और अर्द्धपुनर्
समुदाय विकास

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
घुमन्तु एवं अर्द्धघुमन्तु जनजाति विभाग
मंत्रालय भोपाल